

## क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

कार्यक्रम का नाम :- स्वास्थ्य उपकेन्द्र का किराया एवं आकस्मिक मद।

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक-2 के आधार पर)-Sub centre Rent and Contingencies

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर) - B 4.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

राज्य में वर्तमान में कुल 9696 स्वास्थ्य उपकेन्द्र कार्यरत है। इन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के अतिरिक्त वर्ष 2012 तक 7,765 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की और स्थापित किया जाना था। पूर्व से कार्यरत कई स्वास्थ्य उपकेन्द्र किराये के भवन में चल रहे हैं। साथ ही कई नवसृजित स्वास्थ्य उपकेन्द्र भी किराये के भवन में प्रारंभ कराये गये हैं। प्रत्येक जिले में संचालित उपरोक्त दोनों श्रेणियों के स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के किराये का भुगतान किया जाना है।

वर्ष 2014-15 के RoP में छः जिले यथा-कटिहार, मुंगेर, नालन्दा, पूर्णिया, सारण एवं शेखपुरा में मांग के आधार पर किराया का दर अधिकतम 600/-रुपये प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार बत्तीस जिले यथा-अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमुर, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल एवं वैशाली में मांग के आधार पर किराया का दर अधिकतम 500/-रुपये प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है। कई जिलों में कुछ स्थानों पर 500/-रुपये से कम के किराया के भवन में भी स्वास्थ्य उपकेन्द्र कार्यरत होंगे। किराया का भुगतान संबंधित प्रभारी चिकित्सा, पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के द्वारा नियमानुकूल किया जाएगा।

इकाई राशि (रु० में) - प्रति प्रखण्ड इकाई राशि निम्नलिखित है :-

- छः जिले यथा-कटिहार, मुंगेर, पूर्णिया, नालन्दा, सारण एवं शेखपुरा हेतु किराया का दर अधिकतम 600/-रुपये प्रतिमाह प्रति स्वास्थ्य उपकेन्द्र होगा।
- बत्तीस जिले यथा-अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमुर, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल एवं वैशाली हेतु किराया का दर अधिकतम 500/-रुपये प्रतिमाह प्रति स्वास्थ्य उपकेन्द्र होगा।

वित्तीय दिशा-निर्देश -

स्वास्थ्य उपकेन्द्र के किराये के भुगतान हेतु जिलों को आवंटित राशि से जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य उपकेन्द्र के लिए राशि आवंटित की जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी किराया भुगतान हेतु विपत्र तैयार कर उसे पास कर मकान मालिक को चेक के

*Leij*

*✓*

माध्यम से भुगतान करेंगे एवं व्यय प्रतिवेदन माह के अंतिम तारीख को जिला स्वास्थ्य समिति को भेजेंगे। यदि किसी माह किसी स्वास्थ्य उपकेन्द्र का किराया के राशि की उपलब्धता के बावजूद मकान मालिक को किराया का भुगतान नहीं किया जाता है तो जिला स्वास्थ्य समिति संबंधित प्रभारी से भुगतान नहीं किये जाने का कारण प्राप्त कर राज्य स्तर पर संसूचित करेंगे। अन्य कार्यक्रमों की भांति प्रत्येक माह के प्रारंभ में स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के किराये का भुगतान भी किया जाना अनिवार्य है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए राशि विमुक्त की जा रही है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं०-तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम — श्री रजनीश कुमार सिंह, प्रशासी पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार  
(ख) संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर — 0612-2292059  
(ग)

